

न्यायालय तहसीलदार/ नायब तहसीलदार बाड़ी

मु.नं. 82/2018

निर्णय दिनांक 25/01/2018

उनवान:- सऊा कगाड डारिकोक

आज पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पटवारी

हल्का सले काबाद ने इस आशय के साथ रिपोर्ट पेश की है कि आराजी

खसरा नम्बर 693/596 रकबा 0-10 बीघा किरम चावगाह

बारे ग्राम काइकपु पर डारिकोक पुत्र सिधारा

जाति बाहम निवासी काइकपु तहसील बाड़ी

ने सम्बर 2014 रबी/खरीफ में फसल सासे कर

अतिक्रमण किया है। दर्ज रजिस्टर पर अतिक्रमी को नियमानुसार अधि 1956 की धारा 91 एल. आर. एक्ट के तहत नोटिस जारी किया गया। अतिक्रमी नही आया

पटवारी हल्का ने उपस्थित अतिक्रमण होना बताया।

अतिक्रमी डारिकोक पुत्र सिधारा

जाति बाहम निवासी काइकपु को आ. ख. नं. 693/596

रकबा 0-10 बारे ग्राम काइकपु से तुरन्त प्रभाव से

बेदखल किया जाता है तथा लगान का 50 गुना शास्ती राशि 113/- (अक्षरे

रूपेय एक को लेख रक. का.) आरोपित की जाती है। पैनल्टी वसूली एवं फसल नीलामी हेतु पटवारी हल्का एवं भू. अभि. निको लिखा जावे। T R A को मतालवा कायम कराया जावे। इजराय पत्रावली पृथक से संधारित की जाकर पत्रावली दाखिल दफ्तर है।

फैसला आल दिनांक 25/01/2018 को

खुले इजलास पढकर सुनाया गया।

पुनः तहसीलदार न्यायालय बाड़ी (नयापुर) राज

113-4
2418